न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 30/2017 सन् 2017

जीसीएमएस संख्या 2017/00264

बउनवानीः—सवाईमाधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सवाईमाधोपुर जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. देवीलाल पुत्र गोपी मीना निवासी ग्राम झाडोदा तह0 चौथ का बरवाडा (मृतक)
1/1. काली पत्नि देवीलाल मीना निवासी ग्राम झाडोदा तह0 चौथ का बरवाडा
1/2. चौथराज पुत्र देवीलाल मीना निवासी ग्राम झाडोदा तह0 चौथ का बरवाडा
1/3. राजेन्द्र पुत्र देवीलाल मीना निवासी ग्राम झाडोदा तह0 चौथ का बरवाडा
1/4. नोरती पुत्री देवीलाल मीना निवासी ग्राम झाडोदा तह0 चौथ का बरवाडा
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी मीना निवासी ग्राम झाडोदा तह0 चौथ का बरवाडा

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष मे अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :—श्री कमल सिंह गुर्जर वकील भूमि विकास बैंक(प्रार्थी)

—: निर्णय :— दिनांक 24.9.2025

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर जरियें भूमि विकास बैंक द्वारा पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी बैंक से लिया गया ऋण अप्रार्थी द्वारा बकाया अवधिपार ऋण चुकता नही किया है तथा अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही मे बेची नही जा सकी है इसलिए अप्रार्थी की सम्पति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस मे जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ ओर ना ही बैंक की बकाया राशि जमा करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर सुनी गयी।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम झाडोदा पटवारी हल्का टापुर तहसील चौथ का बरवाडा की आराजी ख0न0 845,849,850,851,852 कुल किता 5 जमाबन्दी मे हिस्सानुसार को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा जरिये निलामी की गयी किन्तु निलामी कार्यवाही के दौरान केताओ के अभाव में उक्त सम्पति बेची नही जा सकी है। रहन पत्र के अनुसार 560000/—रू अप्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया जिसकी अदायगी उसके द्वारा समय पर नही की गयी है ओर ऋणी के उपर 112182/—रू बैंक को लेना वाजिब निकलती है। अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 62222/—रू ब्याज 49960+0/—रू कुल राशि 112182/—रू एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2015 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया राशि 112182/—व अवधिपार बकाया असल 560000/—रू ब्याज 385960/—रू दण्डनीय ब्याज 28000/—रू एवं वसूली व्यय 29218/—रू सहित कुल 973960/—रू वाजिब लेना बाकी निकल रही है जिसको प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक को अधिकार है। उक्त राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की कियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 13.4.2016 के निर्णय का उप रजिस्टार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नही जा सकी है उस भूमि का बैंक के पक्ष मे अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। अतः अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा सवाईमाधोपुर के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहॅुचते है कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा सवाईमाधोपुर की बकाया ऋण राशि रू 973960/—रू जमा नही करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पति (ग्राम झाडोदा पटवारी हल्का टापुर तहसील चौथ का बरवाडा की आराजी ख0न0 845,849,850,851,852 कुल किता 5 जमाबन्दी मे हिस्सानुसार को जरिये निलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पति बेची नही जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस मे जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामील विधिवत रूप से व्यक्तिगत करवायी जाने पर भी अप्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ ओर ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नही करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय मे पेश किया है। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की उपरोक्तानुसार वर्णित बैंक के रहन दर्ज कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के परिप्रेक्ष्य में संबंधित बैंक के पक्ष मे अन्तरित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.9.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner